

श्रमायुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़, नया रायपुर

ब्लॉक 03, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

—: आदेश :-

नया रायपुर, दिनांक 30.06.2015

श्र0आ0/प्रवर्तन/2015/203A स्व-प्रमाणीकरण योजना के बिन्दु क्रमांक 4(1) के अनुसार 05 वर्ष में एक बार स्थापनाओं का निरीक्षण किया जाना है। अर्थात् प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत स्थापनाओं का श्रमायुक्त के निर्देश पर रैंडम पद्धति से निरीक्षण किया जावेगा। इसके अतिरिक्त ऐसे स्थापना जहां पर दुर्घटना से किसी श्रमिक की मृत्यु हुई हो अथवा श्रमिक घायल हुआ हो या कोई ऐसे संस्थान जहां पर हड़ताल, तालाबंदी, ले-आउट की स्थिति उत्पन्न हुई हो अथवा किसी संस्थान की शिकायत प्राप्त हुई हो, ऐसे संस्थान में निरीक्षण अनिवार्यतः किये जावेंगे और ये निरीक्षण उल्लेखित 20 प्रतिशत के अतिरिक्त होगा एवं ऐसे संस्थान का संपूर्ण विवरण कम्प्युटर में संधारित किया जाकर ऑन-लाईन रखा जावेगा ताकि कोई भी इसका अवलोकन कर सकेगा।

(डॉ० जितेन कुमार)

श्रमायुक्त

छत्तीसगढ़, रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30.06.2015

पृ0क्रमांक/श्र0आ0/प्रवर्तन/4180

प्रतिलिपि :-

1. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. उप श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, नया रायपुर।
4. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी जिला(छ0ग0) आदेश के पालन करवाने हेतु।
5. समस्त श्रम निरीक्षक/उप निरीक्षक, छत्तीसगढ़ की ओर पालनार्थ प्रेषित।
6. समस्त शाखा प्रभारी, कार्यालय श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़।
7. आदेश पत्रिका में संकलनार्थ।

श्रमायुक्त

छत्तीसगढ़, रायपुर